



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265791
CG-DL-E-29082025-265791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 546]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 590(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार विभाग आशुलिपिक (ग्रेड I, II, III) भर्ती नियम, 1994, को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, दूरसंचार विभाग में आशुलिपिक ग्रेड II के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र और राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी कार्यालय दूरसंचार विभाग, आशुलिपिक श्रेणी II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. -वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि यदि केन्द्रीय सरकार का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- . जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- . इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी-, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समयसमय पर जारी किए गए आदेशों- के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी-II	103* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रूपए)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कौशल परीक्षण मानक: श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट। प्रतिलेखन: पचास मिनट (अंग्रेजी), पैंसठ मिनट (हिन्दी) (केवल कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण :केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिबीक्षा, सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग यथा विज्ञापित होगी।	टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
--	--	--	--

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मिलित है) टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखता हो।	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मिलित है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी: (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 8 वर्ष की सेवा की हो; और जिनके पास स्तंभ संख्या 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित हैं: - (1) निदेशक, समूह 'क' दूरसंचार विभाग - अध्यक्ष; (2) सहायक महानिदेशक/सहायक प्रमंडल अभियंता दूरसंचार, समूह 'क' दूरसंचार विभाग - सदस्य; (3) सहायक निदेशक / उप मंडलीय इंजीनियर, समूह 'ख', दूरसंचार विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

	ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	---	--	--

[फा. सं. 9-11(02)/2025-स्थापना(भ. नि.)]

रोशनी सोहनी, वरिष्ठ उप महानिदेशक (स्थापना)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department Of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

G.S.R. 590(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Telecommunications Stenographers (Grade I, II, III) Recruitment Rules, 1994, in so far as it relates to the posts of Stenographer Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Department of Telecommunications, namely: -

1. Short title and Commencement. – (1) These Rules may be called the Department of Telecommunications in the offices of Licensed Service Areas and National Communications Academy-Technology Stenographer Grade II (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade II.	103 * (2025) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The Crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 th pass from a recognised Board. (ii) Skill Test norms: Dictation: 10 minutes at the rate of 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (Only on computer). Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment through Staff Selection Commission failing which by deputation (including short-term contract). Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union Territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institutions: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering the conformation) consisting of: - 1. Director, Group 'A', Department of Telecommunications – Chairman; 2. Assistant Director General or Assistant Divisional Engineer (Telecom), Group 'A', Department of Telecommunications – Member; 3. Assistant Director or Sub Divisional Engineer, Group 'B', Department of Telecommunications – Member.	Not applicable.

[F. No. 9-11(02)/2025-Estt(RR)]

ROSHNI SOHNI, Sr. Dy. Director General (Establishment)